प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 09.06.2026

-:यातायात प्रबन्धन के सम्बन्ध में गोष्ठी:-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 08.06.2026 को यातायात प्रबन्धन के सम्बन्ध में पुलिस आफिस में मासिक गोष्ठी आयोजित की गयी । उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/यातायात, पुलिस उपायुक्त यातायात, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात, समस्त सहायक पुलिस आयुक्त यातायात एवं सभी समस्त यातायात निरीक्षकगण उपस्थित रहे। उक्त गोष्ठी में विगत माह में प्रवर्तन कार्यवाही, सडक दुर्घनाओं में कमी लाये जाने, शहर/ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले जाम से आमजन को निजात दिलाने, आगामी कांवड यात्रा के द्ष्टीगत पुलिस प्रबन्धन एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय स्थपित कर लम्बित कार्यो यथाशीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जो निम्नवत् हैं:-

- अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/यातायात महोदय को 15 जून तक स्थानीय पुलिस/यातायात पुलिस/कार्यदायी संस्थाओं (जी0डी0ए0/पी0डब्लू0डी0/नगर निगम/एन0एच0ए0आई0/जलकल विभाग/बिजली विभाग/वन विभाग आदि) से समन्वय बैठक कर लम्बित कार्यों को कांवड यात्रा से पूर्व पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
- अपर पुलिस आयुक्त कानून-व्यवस्था/यातायात महोदय को मैरिज/बैंक्वेट हाल, होटल, जिम में कार्यरत कर्मचारियों का सत्यापन लोकल पुलिस द्वारा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- पुलिस उपायुक्त यातायात को निर्देशित किया गया कि चयनित 500 टी0वी0एफ0 कर्मीयों की कार्यशाला आयोजित कर उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में तथा आगामी कांवड माह में यातायात प्रबन्धन के सम्बन्ध में ब्रीफ किया जाये। इस आयोजन को हिन्दी भवन या किसी बैंक्वेट हाल में आयोजित किया जाये।
- पुलिस उपायुक्त यातायात को निर्देशित किया गया कि लाल कुआं पर यातायात निरीक्षक प्रथम/द्वितीय के कार्यालय के निर्माण में हो रही देरी के सम्बन्ध में सम्बन्धित से अपने कार्यालय में मीटिंग आयोजित कर यातायात निरीक्षकों के कार्यालयों को कांवड यात्रा से पूर्व पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
- ए0एल0टी0 फ्लाईओवर के नीचे यातायात नवम के कार्यालय को टी0 एण्ड टी0 कम्पनी से समन्वय स्थापित कर आगामी सप्ताह तक पोर्टा कैबिन स्थापित कराना सुनिश्चित करें।
- आगामी कांवड यात्रा से पूर्व ट्रैफिक एक्स हैण्डल पर एक लाख फालोवर्रस तक बढायें ताकि आमजन को ज्यादा से ज्यादा गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस के अपडेट प्राप्त हो सकें।
- समस्त सहायक पुलिस आयुक्त सडक दुर्घटनओं में सीसीटी प्रभारियों/विवेचकों से पंजीकृत अभियोगों के सम्बन्ध में ओ0आर0 करते रहें।
- **प्रवर्तन की कार्यवाही:**- प्रतिदिन होने वाली सडक दुर्घनाओं में गम्भीर रूप से घायल एवं मृत्यु का मुख्य कारण चार पहिया वाहनों को बिना सीट बेल्ट लगाये चलाया जाना पाया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया

कि आई0टी0एम0एस0 एवं ई-चालान एप से बिना सीट बैल्ट के वाहन चलाने वालों के विरूद्ध अधिक से अधिक चालानी कार्यवाही की जाए।

- डी0एम0ई0 पर प्रतिबन्धित दो पहिया वाहनों को चालान के साथ सीज की कार्यवाही की जाए।

- डी0एम0ई0 एवं एन0एच0- 09 पर घटित होने वाली सडक दुर्घटनाओं में पीडित व्यक्ति को तत्काल हाई-वे के किनारे पडने वाले नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाये।

- जी0डी0ए0 और नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी जा रही क्रेनों हेतु उन्हीं के द्वारा जुर्माना वसूलने हेतु क्यू0आर0 कोड उपलब्ध कराया जाये।

- समस्त यातायात निरीक्षकों को निर्देशित किया गया कि अपने-अपने सब जोन में डियूटी पर उपस्थित न होने वाले कर्मीयों, अनुशासनहीन कर्मीयों, अवकाश से गैर हाजिर होने के आदि कर्मचारियों, डियूटी में लापरवाही बरतने वाले, आमजन से दुर्व्यवहार करने वाले कर्मीयों की लिखित सूचना पुलिस उपायुक्त यातायात को प्रेषित करेंगे।

थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 08.06.2026 को थाना मसूरी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त कुलदीप उर्फ कुल्ली द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 13 वर्ष के साथ गलत काम करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मसूरी पर तत्काल सुसंगत धारा-65(1)बीएनएस व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.06.2026 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त कुलदीप उर्फ कुल्ली पुत्र महेन्द्र निवासी गाँव कुशलिया थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष को थाना क्षेत्र मसूरी से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि उसकी पीडिता से जान पहचान थी। दिनांक 08.09.2026 को पीडिता को पडोस में खाली निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

कुलदीप उर्फ कुल्ली पुत्र महेन्द्र निवासी गाँव कुशलिया थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी, पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1.200 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 09.06.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला एक अभियुक्त सुल्तान पुत्र मो0 मेहराज निवासी शनि बाजार जीवन गेट खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 1.200 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी-छिपे बाहर से गांजा लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामों पर बेच देता हूँ तथा जो रूपये मिलते है, उससे अपने शौक पूरे करता हूँ। आज मैं गांजे को बेचने के लिए ट्रोनिका सिटी में आया था कि पुलिस ने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

सुल्तान पुत्र मो0 मेहराज निवासी शनि बाजार जीवन गेट खुशहाल पार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

कुल1.200 किलो ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर गांजा की तस्करी करने के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करनेवाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 29.04.2026 को थाना अंकुर विहार पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त अभिषेक द्वारा वादिया के साथ गलत काम करना तथा वादिया के आपत्तिजनक फोटो खींचकर उन्हें वायरल करने की धमकी देना तथा मना करने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलोच करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अंकुर विहार पर तत्काल सुसंगत धारा- 64(1)/352/351(2) बीएनएस व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.06.2026 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र तारा सिंह निवासी बुद्धनगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष को थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मेरी वादिया से करीब 06 माह पूर्व एक शादी समारोह में मुलाकात हुई थी। उसके बाद हम दोनों की आपस में इंस्टाग्राम पर बात होने लगी थी। इसी दौरान मैंने वादिया को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

अभिषेक पुत्र तारा सिंह निवासी बुद्धनगर थाना अंकुर विहार गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट में 15,000/- रुपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 08.06.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 15,000/- रुपये के इनामी अभियुक्त जुल्फिकार पुत्र सईद अहमद निवासी प्रशान्त विहार रूप नगर थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया ।अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त जुल्फिकार ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं अपने गिरोह के अन्य साथियों के साथ मिलकर अवैध रुप से धन लाभ अर्जित करने के लिये विभिन्न दिनांको मे गौकशी, पशु क्रूरता आदि के अपराध कारित करता हूँ ,जिसमें मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जुल्फिकार पुत्र सईद अहमद निवासी प्रशान्त विहार रूप नगर थाना लोनी जिला गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त जुल्फिकार के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर गौवध अधिनियम का 01 अभियोग ,गैंगस्टर अधिनियम का 01 अभियोग व पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने व अवैध शस्त्र बरामद होने के सम्बन्ध में 01 अभियोग (कुल 03 अभियोग) पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, घटना में संलिप्त 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार व निशांदेही से मृतका के शरीर के अवशेष बरामद।

दिनांक 06.06.2026 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तगण 1. प्रविन्द्र पुत्र जयपाल सिंह 2.विनोद पुत्र जयपाल सिंह निवासीगण सूर्य नगर कॉलोनी फाटक पार थाना मुरादनगर गाजियाबाद मूल निवासी चरथावल जिला मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की बहन सोनिया का अपहरण कर ले जाना तथा अभियुक्ता बेदो देवी पत्नी जयपाल सिंह द्वारा वादी की भान्जी माही को डराना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 140(1)/351(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त हत्या की घटना का अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्तगण 1. परविन्दर उर्फ प्रविन्द्र पुत्र जयपाल सिंह 2.विनोद पुत्र जयपाल सिंह निवासीगण सूर्यनगर कॉलोनी थाना मुरादनगर गाजियाबाद मूल निवासी चरथावल जिला मुजफ्फरनगर 3.ब्रह्मपाल पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम सिगलपुर थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनकी निशांदेही से अपहृत/मृतका के शरीर के अवशेष बरामद किये गये। मृतका के शरीर के हड्डी अवशेष बरामदगी व अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1)/238/61(2)/351(3) बीएनएस की वृद्धि की गयी व धारा 140(1) का विलोप किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त प्रविन्द्र उपरोक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरी करीब 12 वर्ष पहले मृतका सोनिया पुत्री सुरेन्द्र सिंह निवीसी मोहल्ला करीमुल्ला पट्टी जानसठ थाना जानसठ जिला मुजफ्फरनगर के साथ सादी हुई थी। हमारे दो पुत्रियां हैं। मेरी पत्नी सोनिया गर्म दिमाग की थी छोटी छोटी बातों पर झगडा करती रहती थी। सोनिया झगडा करके अपने मायके चली गई थी और अपने मायके में मेरे व मेरे परिवार के खिलाफ दहेज का मुकदमा लिखवा दिया था। मैं व मेरे परिवार वाले राजीनामा करके सोनिया को अपने घर ले आये थे और मुकदमें में भी राजीनामा हो गया था। सोनिया कहने लगी कि मैं गांव में नहीं रहूँगी गांव से बाहर कहीं दूसरी जगह रहूँगी। मेरे भाई विनोद ने मोहल्ला सूर्या विहार हिसाली थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद में मकान बना रखा था तो मैंने अपने बच्चों व पत्नी साथ 9-10 महीना पहले अपने भाई के मकान सूर्या विहार हिसाली में आकर रहने लगा। मेरी पत्नी सोनिया का कुछ दिन तो व्यवहार ठीक रहा उसके बाद वो छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ने लगी। मेरी मां श्रीमती बेदो देवी मेरे भाई विनोद के पास रहती थी मेरी पत्नी सोनिया बच्चों को पीट रही थी तो मेरी मां नें बच्चों को मारने पीटने का विरोध किया तो मेरी पत्नी ने मेरी मां बेदो देवी के साथ भी मारपीट की। शाम को जब मैं मजदूरी करके घर लौटा तो मुझे घर पर मेरे भाई व मेरी मां ने इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी दी तो मैंने अपनी पत्नी सोनिया से कहा कि मां क्यों मारा तो सोनिया नें मुझे भी धक्का दे दिया और मेरे भी दो चांटे मार दिये मैंने उसी दिन अपने मन में सोच लिया था कि मेरी पत्नी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। मैंने अपनी पत्नी से बात चीत करना छोड़ दिया था किन्तु मेरी पत्नी मुझे छोटी छोटी बातों पर मुझे गाली गलौच व बेइज्जत करने लगी और मुझे जान से मारने की धमकी लगी कि किसी दिन सोते समय तुझे मार दूंगी। इसी कारण मैंने अपने भाई विनोद से बात की और हम दोनों ने सोनिया को मारने की योजना बना ली। दिनांक 29 जनवरी 2026 को शाम के समय मैंने व मेरे भाई विनोद ने ऊपरी मंजिल पर ले जाकर कमरे के अन्दर उसके गले में फंदा डालकर पंखा टांगने वाले कुंडे में लटका दिया उसको मरा हुआ समझ कर कुंडे सी नीचे उतारा थोड़ी देर बाद देखा कि उसकी सांसे अभी भी चल रहीं थी तो मैंने अपने भाई के कहने पर अपनी पत्नी का मुँह तकिये दबाकर मार दिया। इसके उपरांत मैंने व मेरे भाई ने शव को ठिकाने लगाने के लिये अपने मामा ब्रह्मपाल सिंह पुत्र समय सिंह को बताया तो मामा ने कहा कि सोनिया की लाश को घरेलू सामान के साथ बेड में रख कर किराये का कोई वाहन आ जाओ और यहां कहीं ठिकाने लगा देंगे। मैं और मेरा भाई सोनिया की लाश को लेकर अपने घर रोहाना पहुंचे उसके बाद अपने मामा के गांव सिग्नलपुर पहुंचे तो मामा ब्रह्मपाल गांव के बाहर मिले। जंगल में हरिजनों के बिटौरा में हमने सोनिया का शव बिटौरा के अन्दर डाल कर बिटौरा मे आग लगा दी थी। मैं और मेरा भाई विनोद अपने गांव रोहाना वापस चले गये और मेरा मामा अपने घर चला गया था। तीन चार दिन बाद मैं रात्रि के समय अपने ननिहाल पहुंचा और बिटौरा की ऱाख व अवशेष को वहीं पास के तालाब में डाल आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.परविन्दर उर्फ प्रविन्द्र पुत्र जयपाल सिंह निवासी रोहाना रोड थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर हाल पता सूर्या विहार हिसाली थाना मुरादनगर जिला गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष।

2.विनोद पुत्र जयपाल सिंह निवासी रोहना रोड कस्बा चरथावल थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर हाल पता सूर्य विहार हिसाली थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 40 वर्ष।

3.ब्रह्मपाल पुत्र समय सिंह निवासी ग्राम सिगलपुर थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।